रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 691] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2018/आश्विन 6, 1940
No. 691] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2018/ASVINA 6, 1940

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 937(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल (वर्ग-3 पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध प्रसूति विद्या और सिस्टर अनु-शिक्षक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नर्सिंग महाविद्यालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में अनु-शिक्षक पद पर भर्ती की पद्ति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ पद्धति : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नर्सिंग महाविद्यालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (अनु-शिक्षक) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन का अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
1	2	3	4	5	6	7
अनुशिक्षक	22* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (56100-177500रु.) में स्तर – 10	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई	आवश्यक : (i) किसी मान्यप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में मास्टर डिग्री; या (ii) भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी नर्सिंग महाविद्यालय से एक वर्ष बी.एस.सी. नर्सिंग या उत्तर बुनियादी बी.एस.सी नर्सिंग सहित के अनुभव। केंद्रीय या राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स या सेविका के रूप में रजिस्ट्रीकृत। टिप्पण अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचि त जातियों, या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब

					है।)	चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा यह प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष टिप्पणः एक वर्ष की अवधि जिसमें दो सप्ताहों की अवधि का आवश्यक अधिष्ठापन प्रशिक्षण की सफलतापूर्णता सम्मलित होगी।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से एक प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :- (क) जो मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश् पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : i. संयुक्त सचिव (नर्सिंग प्रभाग से	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	प्रशासनिक रूप से संबद्ध) या संयुक्त सचिव (अस्पताल से प्रशासनिक रूप से संबद्ध) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष ii. चिकित्सा अधिक्षक, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य iii. नर्सिंग सलाहकार या सहायक महानिदेशक (नर्सिंग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य	

[फा. सं. ए -11013/01/2010-एन- सी]

डॉ. रति बालाचंद्रन, सहायक महानिदेशक (नर्सिंग)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2018

G.S.R.937(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjung Hospital (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the posts of Midwifery and Sister Tutor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Tutor in the College of Nursing, Safdarjung Hospital, New Delhi namely:-

1. Short title and commencement.-

1) These Rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, College of Nursing, Safdarjung Hospital, New Delhi (Tutor) Recruitment Rules, 2018.

2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and the level in pay matrix.—The number of the said posts, their classification and the level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tutor	22* (Twenty two) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)	Not Applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 35 years **Note- 1:** Relaxable for Government servant's upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note- 2 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential: (A) (I) Masters Degree in Nursing from a recognized university or Institute; Or (II) BSc Nursing or Post Basic BSc Nursing with one year experience in a Nursing college recognised by Indian Nursing Council. (B) Registered as Nurse and Midwife with Central or state Nursing Council **Note:** 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note: 2** The qualifications regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	One year Note: The period of one year shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	Direct Recruitment. Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or may be filled on deputation basis from officers of Central Government A. Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and B. possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruitment under column (7). (The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

In case of recruitment by promotion or	If a Departmental Promotion Committee exists, what	Circumstances in which Union

deputation or absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made	is its composition	Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group A Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (i) Joint Secretary (Administratively concerned with Nursing Division) or Joint Secretary (Administratively concerned with Hospital), Ministry of Health and Family Welfare – Chairman. (ii) Medical Superintendent of the Safdarjung Hospital – Member. (iii) Nursing Adviser or Assistant Director General (Nursing), Ministry of Health & Family Welfare-Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary.

[F. No. 11013/01/2010-N-C]

Dr. RATHI BALACHANDRAN, Asstt. Director General (Nursing)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.10.01 12:04:56 +05'30'